

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

॥ अधिसूचना ॥

पटना—....., दिनांक—20/7/2015

**2957**

संख्या— ..... / भारत—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल उद्योग विभाग के हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

**बिहार उद्योग (हस्तकरघा एवं रेशम) क्षेत्रीय लिपिक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015,**  
(उद्योग विभाग)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।— (i) यह नियमावली बिहार उद्योग (हस्तकरघा एवं रेशम) क्षेत्रीय लिपिक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2015 (उद्योग विभाग) कही जा सकेगी।  
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(iii) यह तुरत प्रवृत होगी।
2. परिभाषाएं ।— इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :—  
(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;  
(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है उद्योग विभाग;  
(iii) 'निदेशक' से अभिप्रेत है निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार;  
(iv) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग;  
(v) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;  
(vi) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना;  
(vii) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरंभ होने की तिथि;  
(viii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है संवर्गों में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इससे इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व से संवर्गों में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं; तथा  
(ix) 'अनुकम्पा' के आधार पर नियुक्ति' से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।
3. संवर्ग की संरचना ।— लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नवत होगी :—

क्र० सं०	कोटि का नाम	स्तर
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

टिप्पणी ।— इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व से क्षेत्रीय कार्यालयों में वेतनमान 4000—6000/- रु० (अपुनरीक्षित), वेतनमान 5200—20200/- रु० ग्रेड पे 2400/- (पुनरीक्षित) में कार्यरत लिपिक सह भंडारपाल, टंकक सह लिपिक, लेखापाल सह भंडारपाल, लेखापाल सह लिपिक, इस नियमावली के आरंभ होने के बाद उच्च वर्गीय लिपिक के पदनाम से जाने जाएंगे।

4. संवर्ग बल ।— संवर्ग बल वही होगा, जो हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लिपिकीय संवर्ग में रखीकृत कुल बल होगा।
5. भर्ती ।— (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा और 15% पद निम्नवर्गीय लिपिक पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले सुपात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से भरा जाएगा। सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।  
(2) सभी भर्तियों आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जाएगी।  
(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

- (4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता, विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।
- (5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।
6. अर्हता ।— (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।  
 (ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
7. आरक्षण ।— भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण / रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा।
8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती ।— (1) नियुक्ति प्राधिकार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले समूह 'ध' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।  
 (2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जाएगी।
9. परिवीक्षा ।— प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।
10. विभागीय परीक्षा ।— (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जाएगी।  
 (2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

#### पत्र- 1

सेवा नियमावली ।— बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

#### पत्र- 2

वित्तीय नियमावली ।— कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैविट्स ऐंड प्रोसिडियर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11. सम्पुष्टि ।— कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति, विभागीय परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जाएगा।
12. वरीयता ।— संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा रिस्थिति के अनुसार होगी, परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी:

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं;

परन्तु और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. प्रोन्नति ।— (1) मूल कौटि से उच्चतर कौटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगी :—

- |   |           |
|---|-----------|
| (क) संयुक्त उद्योग निदेशक, ५०२० निदेशालय, बिहार, पटना                           | — अध्यक्ष |
| (ख) संयुक्त उद्योग निदेशक(तक), ५०२० निदेशालय, बिहार, पटना                       | — सदस्य   |
| (ग) उप उद्योग निदेशक, ५०२० निदेशालय, बिहार, पटना                                | — सदस्य   |
| (घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / जन जाति का एक पदाधिकारी | — सदस्य   |

14. संवर्ग का स्तर ।— यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानान्तरित करने की शक्ति निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना की होगी।
15. अवशिष्ट मामले ।— ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।
16. कठिनाई का निराकरण ।— सरकार (उद्योग विभाग) को इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण सामान्य या विशेष आदेश, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, कर सकेगी।
17. निर्वचन ।— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विधि विभाग के परामर्श से विनिश्चित किया जाएगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।
18. निरसन एवं व्यावृत्ति ।— (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतत् द्वारा निरसित किए जाते हैं।  
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—..... दिनांक—.....

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—..... दिनांक—.....

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना, सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

2957

दिनांक— 20/7/2015

प्रतिलिपि— उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य-प्रंसंकरण, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना/सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी पदाधिकारियों/आईटीआई प्रबन्धक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

12/7